[26/7/2019]

प्रश्न सं. [क. 4249]

परिशिष्ट (ग)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) कटनी, मध्यप्रदेश

दूरभाष-07622-222644, फैक्स-07622-222644
E-mail ID :- modgmkat@mp.gov.in

क्रमांक 1711 /खनिज/2019 कटनी, दिनांक 10/05/2019

प्रति,

संचालक
भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग
भोपाल म0प्र0

विषय :- ग्राम बड़ारी तहसील वि0गढ़ जिला कटनी अन्तर्गत खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.60 हे0 श्री जयपाल वल्द श्री भूरा कोल निवासी बम्हौरी की भूमि में बिना श्रीमान कलेक्टर महोदय के भू-प्रवेश की अनुमति के खदान संचालित होने के संबंध मे।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 5047/शिकायत/ कटनी/ न.क./2017-18 भोपाल, दिनांक 30.3.2019

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित शिकायत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। शिकायतकर्ता श्री बंशगोपाल दुबे, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बड़ारी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जॉच खनि निरीक्षक श्री अशोक मिश्रा से कराई गई । श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10.5.2019 में लेख किया गया है कि दिनांक 10.5.2019 को राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी एवं ए0सी0सी0 के प्रतिनिधि श्री मनीष उपाध्याय की उपस्थिति में खसरा कमांक 65/1 रकवा 0.60 हे0 ग्राम बड़ारी की भूमि का मौका निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि -

1. ग्राम बड़ारी प0ह0नं0 33/10 स्थित खसरा नंबर 65/1 रकवा 0.60 हे0 भूमि जयपाल वल्द भूरा कोल के नाम दर्ज भूमि है।
2. राजस्व अभिलेख के खसरा नम्बर 65/1 के कालम नंबर 12 में पूर्व से ही मौके पर खदान व मलवा पड़ा है दर्ज है।
3. मौके पर अवलोकन से पाया गया कि खसरा नम्बर 65/1 में कोई खदान नही है, तथा खदान संचालित नही है, खनन का पिट नही बना है। मौक पर पूर्व का मलवा 1/2 मीटर उंचाई का कही-कही पर रखा हुआ है।
4. वर्तमान में खसरा नम्बर 65/1 रकवा 0.60 हे0 के अंश भाग पर अस्थायी रास्ता भी है।
5. मौके पर एसीसी सीमेंट के प्रतिनिधि श्री मनीष उपाध्याय (माईन्स मैनेजर) द्वारा बताया गया कि खसरा नंबर 65/1 रकवा 0.60 हे0 पर लीज स्वीकृत है परंतु वर्तमान में भू-प्रवेश प्राप्त नही किया गया है। निरीक्षण में खदान संचालित होना नही पाये जाने पर एवं पूर्व समय का रखा मलवा होने से शिकायत सही नही पाये जाने से शिकायत नस्तीबद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः खनि निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता श्री बंशगोपाल दुबे, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बड़ारी द्वारा विषयांकित के संबंध में की गई शिकायत निराधार होने से नस्तीबद्ध किये जाने योग्य है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपसंचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला-कटनी म0प्र0

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,

प्रतिवेदन

प्रति,

उपसंचालक, (खनिज–प्रशासन)
कार्यालय कलेक्टर (खनिज –शाखा)
जिला कटनी

विषय– ग्राम बड़ारी तहसील वि0गढ़ जिला कटनी अन्तर्गत खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.60 हे0 श्री जयपाल बल्द श्री भूरा कोल निवासी दम्होरी की भूमि में बिना श्रीमान कलेक्टर महोदय के भू प्रवेश की अनुमति के खदान संचालित होने के संबंध में।

संदर्भ– कार्यालय का पत्र क्रं. 1630 दिनांक 23.04.2019

–00–

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदिर्भित पत्र के पालन में दिनांक 10.05.2019 को राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, एसीसी सीमेंट के प्रतिनिधि श्री मनीष उपाध्याय की उपस्थिति में खसरा क्रमांक 65/1, रकबा 0.60 हे0 ग्राम बड़ारी की भूमि का मौका निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि –

1. ग्राम बड़ारी प0ह0नं0 33/10 स्थित खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.60 हे0 भूमि जयपाल बल्द भूरा कोल के नाम दर्ज भूमि है।
2. राजस्व अभिलेख के खसरा नंबर 65/1 के कॉलम नंबर 12 में पूर्व से ही मौके पर खदान व मलवा पड़ा है दर्ज है।
3. मौके पर अवलोकन से पाया गया कि खसरा नंबर 65/1 में कोई खदान नहीं है, तथा खदान संचालित नहीं है, खनन का पिट नहीं बना है। मौके पर पूर्व का मलवा 1/2 मीटर उंचाई का कहीं–कहीं पर रखा हुआ है।
4. वर्तमान में खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.60 हे0 के अंशभाग पर अस्थायी रास्ता भी है।
5. मौके पर एसीसी सीमेंट के प्रतिनिधि श्री मनीष उपाध्याय (माईन्स मैनेजर) द्वारा बताया गया कि खसरा नंबर 65/1 रकबा 0.60 हे0 पर लीज स्वीकृत है परंतु वर्तमान में भू प्रवेश प्राप्त नहीं किया गया है।

1090

महोदय, उपरोक्तानुसार निरीक्षण में खदान संचालित होना नहीं पाये जाने पर एवं पूर्व समय का रखा मलवा होने से, शिकायत सही नहीं पाये जाने से, शिकायत नस्तीबद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है । प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न – मौका पंचनामा।

खनि निरीक्षक
जिला कटनी (म.प्र.)
अशोक कुमार मिश्रा
खनि निरीक्षक
कटनी

अनुभागीय अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4249 से संबंधित जानकारी परिशिष्ट — "अ"

कटनी जिले के ग्राम बड़ारी में वर्ष 1999 में अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणो की जानकारी

स0क्र0	वर्ष	अवैध उत्खनकर्ता का नाम एवं पता	अवैध उत्खन स्थल का नाम	खनिज	अर्थदण्ड की राशि	जमा कराई गई राशि
1	2	3	4	7	8	9
1	1999	श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल निवासी सिविल लाइन कटनी	ग्राम बड़ारी तहसील विजयराघवगढ़	चूना पत्थर	1,26,75000/—	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दायर याचिका क्रमांक 10655/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 के द्वारा स्थगन दिया गया है।
2	1999	श्री राजकिशोर अग्रवाल, सिविल लाइन कटनी	ग्राम बड़ारी तहसील विजयराघवगढ़	चूना पत्थर	54,00000/—	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दायर याचिका क्रमांक 6628/2011 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2013 के द्वारा स्थगन दिया गया है।
3	1999	श्री अशोक कुमार दुबे, नदीपार कटनी	ग्राम बड़ारी तहसील विजयराघवगढ़	चूना पत्थर	50,00000/—	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दायर याचिका क्रमांक 13487/2010 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के द्वारा स्थगन दिया गया है।
4	1999	श्री देवी प्रसाद दुबे, ग्राम कैलवारा खुर्द जिला कटनी	ग्राम बड़ारी तहसील विजयराघवगढ़	चूना पत्थर	22,82,850/—	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दायर याचिका क्रमांक 13931/2009 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2010 के द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
5	1999	श्री सुंदरलाल दुबे, ग्राम बड़ारी, जिला कटनी म0प्र0	ग्राम बड़ारी तहसील विजयराघवगढ़	चूना पत्थर	3,74,175/—	3,74,175/—उक्त राशि पृथक–पृथक चालानो के माध्यम से जमा कराई गई है।
6	1999	श्री अशीष गुप्ता, सिविल लाइन कटनी	ग्राम बड़ारी तहसील विजयराघवगढ़	चूना पत्थर	800000/—	माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा संबंधित के विरूद्ध आर0आर0सी दिनांक 03.04.2000 को जारी की गई है। कार्यवाही प्रचलन में है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

प्रभारी अधिकारी
(खनिज शाखा)
जिला कटनी म0प्र0

Scanned by CamScanner